

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली ।

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश श्रृंखलांक 2426 दिनांक 03.08.21 द्वारा दिनांक 13.08.2021 को हाजीपुर प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाइयों में अभ्यासियों का कॉंसिलिंग राजकीय अम्बेदकर आनासोय विद्यालय दिव्यो हाजीपुर में निर्धारित किया गया था। C.E.T. B.ED. 2021 का परीक्षा केन्द्र राजकीय अम्बेदकर आनासोय विद्यालय दिव्यो हाजीपुर में निर्धारित होने के फलस्वरूप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर के पत्रांक 33 (नियोज.) दिनांक 11.08.2021 द्वारा कॉंसिलिंग स्थल परिवर्तन हेतु प्राप्त अनुरांसा के आलोक में हाजीपुर प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाइयों में अभ्यासियों का कॉंसिलिंग एस. एस. गर्ल्स हाईस्कूल हाजीपुर में निर्धारित किया जाता है।

601-

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
वैशाली ।

श्रृंखलांक 2509 / हाजीपुर, दिनांक 11.08.21

प्रतिलिपि - प्रखंड विकास पदाधिकारी हाजीपुर।  
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हाजीपुर। संबंधित  
पंचायत नियोजन इकाई। आई. जी. मैनेजर  
वैशाली को सूचनार्थ एवं आनश्यक कार्याच  
प्रेषित। आई. जी. मैनेजर से अनुरोध है कि  
इसे NTC के वेबसाइट पर अपलोड  
करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि - निदेशक (प्रा. शिक्षा) शिक्षा विभाग बिहार परना।  
जिला पदाधिकारी वैशाली की सेवा में  
सूचनार्थ समर्पित।

11/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
वैशाली ।

# वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

## संयुक्त आदेश

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 7/विविध-25/2019-594 दिनांक 23.06.2021, अधिसूचना ज्ञापांक 621 दिनांक 03.07.2021, अधिसूचना ज्ञापांक 755 दिनांक 28.07.2021 एवं निदेशक (प्रा0शि0) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 762 दिनांक 29.07.2021 के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्व से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित बिहार पंचायती राज (संशोधन अध्यादेश) 2021 के अधिनियम की धारा 66 की नई उप धारा (5) के अन्तर्गत गठित परामर्शी समिति द्वारा किया जाएगा।

उक्त अनुमोदित सूची के अनुसार संबंधित नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 13.08.2021 को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्थल पर काउन्सिलिंग निर्धारित किया गया है।

उक्त तिथियों को निर्धारित स्थलों पर काउन्सिलिंग के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्नानुसार वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी/दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

क्र०	नियोजन इकाई का नाम	काउन्सिलिंग की तिथि एवं निर्धारित स्थान	वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी	पुलिस बल
01	देसरी प्रखंड के संबंधित पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक-13.08.21 प्रखंड संसाधन केन्द्र देसरी।	श्रीमती कविता कुमारी, जिला कार्यक्रम पदा०, स०शि०अभि०, वैशाली, मो०-7903977780	श्री रत्नेश कुमार, प्रखंड कृषि पदा०, देसरी, मो०-9430212724	स०अ०नि० मनोरंजन कुमार, देसरी थाना मो०-9473381021	1-4
02	सहदेई बुजुर्ग के पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 गाँधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहदेई बुजुर्ग।	श्री अनिल कुमार सिंह, सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला शिक्षा कार्या, वैशाली, मो०-9835739093	मो० सलाउद्दीन, प्रखंड सांख्यिकी पदा०, सहदेई बुजुर्ग, मो०-9308119954	स०अ०नि० राजनन्दन प्रसाद, सहदेई बुजुर्ग थाना मो०-9570538839	1-4
03	महनार के पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 रा०म०वि० महनार बालक।	श्री देवरंजन, जिला कार्यक्रम पदा०, योजना एवं लेखा, वैशाली, मो०-9572215437	श्री अरविन्द कुमार, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदा०, महनार, मो०-8409330829	स०अ०नि० उमाशंकर सिंह, महनार थाना मो०77320084676	1-4
04	राजापाकर प्रखंड के प्रखंड नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष।	श्री निशांत किरण, जिला कार्यक्रम पदा०, स्थापना शिक्षा, वैशाली, मो०-7250052711	श्री दीपक सक्सेना, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदा०, राजापाकर, मो०-7903309398	पु०अ०नि० विनोद कुमार सिंह-2 राजापाकर थाना मो०-6207402853	1-4
05	महुआ प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल महुआ।	श्रीमती दिप्ती, जिला कार्यक्रम पदा०, मध्याह्न भोजन, वैशाली, मो०-7368807072	श्री बजरंग प्रताप सिंह, प्रखंड कल्याण पदा०, महुआ, मो०-9162499014	पु०अ०नि० ललन प्रसाद, महुआ थाना मो०-8340273642	1-4
06	हाजीपुर प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 एस०एस० गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुर।	श्री सियाराम साहु, उप-परियोजना निदेशक, आत्मा, वैशाली, मो०-9430038679	श्री सतीश कुमार राय, प्रखंड कृषि पदा०, हाजीपुर, मो०-8084697672	पु०अ०नि० नित्यानंद प्रसाद, नगर थाना मो०-9155957725	1-4
07	वैशाली प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 प्रखंड आई०टी० भवन वैशाली।	श्रीमती सीमा कुमारी, ADPC, सर्व शिक्षा अभि०, वैशाली, मो०-6201599500	श्री ओम प्रकाश नारायण सिंह, प्रखंड कल्याण पदा०, वैशाली, मो०-6205879721	स०अ०नि० जनार्दन मिश्र, वैशाली थाना मो०-9708057556	1-4

08	चेहराकला पंचायत नियोजन इकाई	दिनांक -13.08.21 प्रखंड संसाधन केन्द्र चेहराकला।	श्रीमती विभा कुमारी, जिला कार्यक्रम पदा0, मा0शि0, वैशाली, मो0-9835085757	श्री हरेन्द्र कुमार, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदा0, चेहराकला, मो0-9955691711	पु0अ0नि0 मो0 शफीक, चेहराकला थाना मो0-9470738444	1-4
----	--------------------------------	--	--	---	--	-----

उक्त नियोजन इकाई में प्रतिनियुक्त सभी वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी अपनी देख-रेख में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से काउन्सिलिंग का कार्य सम्पन्न करायेगें।

सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त काउन्सिलिंग स्थल पर निर्धारित तिथि को काउन्सिलिंग कार्य के सफल संचालन का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

01. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि काउन्सिलिंग हेतु सभी पंचायतों का अलग-अलग सत्यापित पंजी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा सत्यापित पंजी पर ही नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग की कार्यवाई की जाएगी। अन्य पंजी पर नियोजन संबंधी की गयी कार्यवाई मान्य नहीं होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी काउन्सिलिंग के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पंजी का अवलोकनोपरान्त उस पर अपना हस्ताक्षर (मुहर सहित) करेंगे। पंचायत नियोजन इकाई को निदेश दिया जाता है कि काउन्सिलिंग पंजी को सुरक्षित रूप से संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।
02. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि काउन्सिलिंग स्थल पर नियोजन इकाईवार सम्पूर्ण काउन्सिलिंग कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, काउन्सिलिंग कार्यक्रम की विडियोग्राफी एवं सम्पूर्ण परिसर की विडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगे। जिसे अगले दिन नियोजन इकाईवार अंकित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
03. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी काउन्सिलिंग स्थल पर नियोजन इकाईवार लाईट एवं साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था करेंगे।
04. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से सभी काउन्सिलिंग स्तर पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे एवं पर्याप्त कर्मियों की ससमय प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
05. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी काउन्सिलिंग स्थल पर अपने स्तर से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
06. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी काउन्सिलिंग स्थल पर नियोजन इकाईवार अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग हेतु वांछित कागजात की सूची तथा मेधा सूची की अनुमोदित प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेंगे।
07. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC वैशाली/ आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर लाईव एक्सेस के साथ-साथ जिला के वेब पोर्टल पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी प्रमाण पत्रों के संधारण की व्यवस्था अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।
08. जिस प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है। वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से जिला स्तर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
09. अनुमण्डल पदाधिकारी हाजीपुर/ महुआ एवं महनार/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी हाजीपुर/ महुआ एवं महनार उपरोक्त सम्पूर्ण व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष काउन्सिलिंग सुनिश्चित करायेंगे।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/ वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी/प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी समाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी काउन्सिलिंग स्थल पर सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

11/08/21  
पुलिस अधीक्षक,  
वैशाली।

जिला दण्डाधिकारी,  
वैशाली।

ज्ञापांक- 847 /गो0, हाजीपुर, दिनांक- 11-08-21.  
प्रतिलिपि- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, वैशाली/ अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली / जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/ शिक्षा विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, वैशाली/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, वैशाली/ आई0टी0 प्रबंधक, वैशाली/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

५६  
11/08/21  
पुलिस अधीक्षक,  
वैशाली।

11/8/21  
जिला दण्डाधिकारी,  
वैशाली।